(120)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर, कैम्प, भोपाल

R 82-PBR/17 प्रकरण क्रमांक : ....

01. रामचन्द्र आत्मज श्री हजारीलाल, वयस्क

02. मानसिंह आत्मज श्री हजारीलाल, वयस्क
अनुसूचित जाति, निवासी ग्राम अरन्या,
तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) .... निगरानीकर्तागण

बनाम

01. कमल सिंह आत्मज स्व. गोकुल सिंह

02. मानकुंवर बाई विधवा स्व. गोकुल सिंह
वयस्क, जाति राजपूत, निवासी –
ग्राम पटाड़िया डाबी, तहसील सारंगपुर,
जिला राजगढ़ (म.प्र.)

03. भंवरी बाई पुत्री स्व. दरयाब सिंह,
वयस्क, निवासी – ग्राम अमलावता,
तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.).......... प्रत्यर्थीगण

निगरानी आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं, 1959

माननीय महोदय,

निवेदन है कि निगरानीकर्तागण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल के द्वितीय अपील प्रकरण क्र. 52/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2016 (जो कि अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सारंगपुर के प्रथम अपीलीय प्रकरण क्र. 5/अपील/अ–6–अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2015 तथा नायब तहसीलदार, सारंगपुर, जिला राजगढ़ के प्रकरण क्र. 24/अ–6–अ/2011–12, आदेश दिनांक 26.09.2012 से उद्भुत है) से परिवेदित होकर निर्धारित समयावधि के अंदर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

प्रकरण में अपेक्षित अभिलेख

01. न्यायालय आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल का प्रकरण क्र. 52/अपील/2015–16, आदेश दिनांक 24.10.2016

02. न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सारंगपुर का प्रकरण क्र. 05/अपील/अ–6–अ/2015–16, आदेश दिनांक 31.12.2015

03. न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील सारंगपुर का प्रकरण क्र. 24/अ–6–अ/2011–12, आदेश दिनांक 26.09.2012

69

रामचन्द्र/कमलसिंह

XXXIV(n)-BR(H)-11

120

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुपूर्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-82/PBR/17 जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27.6.2017	आवेदकगण की ओर से श्री टी.एस. अहिरवार अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से श्री प्रेम सिंह अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 3 के आवेदन पत्र के संलग्न समझौता पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उभय पक्ष के मध्य समझौता हो जाने से वे प्रकरण नहीं चलाना चाहते हैं। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने से समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	नि.अं. कमलसिंह नि.अं. रामचन्द्र नि.अं. मानसिंह A9

[क्र